

केंद्रीय सूचना आयोग
CIC भवन,
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका
नई दिल्ली -110067

F.No. 1/1/2018-MR-CIC

दिनांक: 17-05-2018

Shri. Shafik Ahmed
New Layers Chamber No. 404
Supreme Court of India
New Delhi

विषय : आपके RTI application Reg no. No. CICOM/R/2018/50321, dt. 07/05/2018 के सन्दर्भ में
महोदय,

आपके RTI application Reg no. No. No. CICOM/R/2018/50321, dt. 07/05/2018 के सन्दर्भ में
वांछित जानकारी बिंदु संख्या 2, 3, 4 और 5 निम्नलिखित है

बिंदु संख्या 2: रजिस्टर्ड अपील/ कंप्लेंट के निपटारे के बाद 6 महीने तक फिजिकल रिकॉर्ड मेन्टेन किया जाता है।

बिंदु संख्या 3 : पब्लिक अथॉरिटी एडिट की जा सकती है और CPIO के डिटेल में यदि टाइपिंग गलती है तो एडिट किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रति संग्रहण की गई है।

बिंदु संख्या 4 : द्वितीय अपील / कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के बाद infructuous किये गए केसों का रिकॉर्ड अभी एपकोम सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं है।

बिंदु संख्या 5: इस सम्बन्ध में टेंडर और वर्क आर्डर की प्रति संग्रहण की गई है।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलार्थी अधिकारी को अपील कर सकते हैं ।

श्री. राकेश कुमार सिंह
प्रथम अपील आधिकारी & अपर सचिव
पता: कमरा नॉ. 502
CIC भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग,
नई दिल्ली

(जीवन चंद्र)
कंसलटेंट CPIO, JS (MR) अनुभाग

प्रतिलिपि : श्री. अशोक कुमार शर्मा, CPIO RTI Cell.